भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-27
उत्तर देने की तारीख-01/12/2025

उच्च शिक्षा में जीईआर में वृद्धि

†27. **श्री राजा राम सिंह:**
श्री राव राजेन्द्र सिंह:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार किस प्रकार वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाने की योजना बना रही है, जिसमें हिंदी और संस्कृत के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने का प्रावधान है;
(ख) क्या यह सच है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मैथिली भाषा में दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाला एकमात्र संस्थान है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह भी सच है कि विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विनियम, 2020 में दोहरे मानकों के कारण पिछले चार वर्षों के दौरान प्रवेश प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है;
(घ) यदि हां, तो क्या यह नीतिगत विरोधाभास को दर्शाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) इस मुद्दे के संबंध में प्राप्त आवेदनों की संख्या कितनी है और इस संबंध में सरकार और यूजीसी द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और
(च) पिछड़े क्षेत्रों में नामांकन पर ऐसी नीति का क्या प्रभाव है और इसका समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, सरकार ने 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को 26.3% से बढ़ाकर 50% करने की योजना बनाई है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) की संख्या 2018-19 में 51,649 से बढ़कर

2021-22 में 58,643 हो गई है। छात्रों की संख्या 2018-19 में 37.4 मिलियन से बढ़कर 2021-22 में 43.3 मिलियन हो गई है। ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों की संख्या 2020 में 7 से बढ़कर 2025 में 123 हो गई है। इसके अलावा, भारत में सकल नामांकन अनुपात में सुधार करने के उपायों में नए संस्थानों का निर्माण करके अवसंरचना का विस्तार करना और मौजूदा संस्थानों का उन्नयन करना, छात्रवृत्ति और वित्त पोषण के माध्यम से वित्तीय सहायता बढ़ाना और स्वयं (युवा महत्वाकांक्षी दिमागों के लिए सक्रिय-अधिगम जाल का अध्ययन करें) और एनपीटीईएल (प्रौद्योगिकी संवर्धित शिक्षा पर राष्ट्रीय कार्यक्रम) जैसे ऑनलाइन प्लेटफार्मों को बढ़ावा देकर प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना शामिल है।

(ख): ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, बिहार एक राज्य विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय को शैक्षणिक वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक एमए (मैथिली) कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए मान्यता दी गई थी। इसके अलावा, नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, बिहार को भी शैक्षणिक वर्ष 2016-17 से एमए (मैथिली) कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए मान्यता दी गई थी।

(ग) और (घ): यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, बिहार को जनवरी, 2020 के बाद कोई मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि एचईआई यूजीसी ओडीएल (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम विनियम, 2020 के अनुसार पात्रता मानदंडों के लिए न्यूनतम आवश्यकता को पूरा नहीं कर रहा था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किसी नीतिगत विरोधाभास पर ध्यान नहीं दिया है।

(ङ) और (च): यूजीसी प्रत्येक वर्ष दो शैक्षणिक सत्रों अर्थात जुलाई और जनवरी के लिए पात्र एचईआई से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इसके अलावा, यूजीसी (ओडीएल कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के तहत, ओडीएल/ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए पात्र उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एचईआई) की संख्या बढ़ाने के लिए पात्रता मानदंड में बदलाव किया गया था। उच्चतर शिक्षा संस्थानों के प्रत्येक आवेदन का मूल्यांकन कई विशेषज्ञ समितियों द्वारा किया जाता है और अपील समिति द्वारा निवारण के अवसर प्राप्त किए जाते हैं।

*****